

## वोटर आईडी गुम? बनिा कार्ड 11 नवंबर को ऐसे डालें अपना वोट!

### वषिय सूची (Table of Contents):

- >> प्रस्तावना लोकतंत्र के महापर्व में हर वोट है कीमती...
- >> डिजिटल युग में चुनावी प्रक्रियाओं का सरलीकरण...
- >> 11 नवंबर को मतदान वोटर आईडी कार्ड न होने पर भी कर सकेंगे वोट...
- >> बनिा वोटर कार्ड के मतदान की प्रक्रिया...
- >> जलि के सभी 9 वधानसभा क्षेत्रों में तैयारियां पूरी, घर-घर पहुंची मतदाता पर्ची...
- >> मतदाता पर्ची के साथ पहचान पत्र लाना जरूरी...
- >> नरिवाचन आयोग की बड़ी राहत पहचान के लिए इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मली मंजूर...
- >> स्वीकृत 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की पूरी सूची (List) ...
- >> वोटर लसिट में नाम होना है अनवार्य, जानें कौन-से दस्तावेज होंगे मतदान के लिए मा...
- >> दस्तावेजों की कानूनी वैधता और महत्व...
- >> चुनाव से जुड़ी कसी भी शकियत के लिए 24 घंटे एक्टवि रहेगा हेल्पलाइन नंबर 1950...
- >> कंट्रोल रूम से होगी सीधी मॉनटरिंग...
- >> वोटर आईडी से संबंधित समस्याओं के नवारण के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर...
- >> जागरूक मतदाता, मजबूत लोकतंत्र जलिा प्रशासन ने की बड़-चढ़कर मतदान करने की अपील...
- >> नषिकर्ष जमिंदारी नभिएं, लोकतंत्र मजबूत बनाएं...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न...

### प्रस्तावना: लोकतंत्र के महापर्व में हर वोट है कीमती

भारतीय लोकतंत्र में मतदान करना प्रत्येक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार और कर्तव्य है। कई बार ऐसा होता है कि ऐन चुनाव के वक्त मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र खो जाता है या कसी कारणवश नहीं मलि पाता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करेंगे।

अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब आपको बलिकुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत नरिवाचन आयोग ने मतदाताओं की सुवधा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और latest update जारी किया है, जिसके तहत यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है, तो भी आप 11 नवंबर को पोलिंग बूथ पर जाकर अपना कीमती वोट डाल सकते हैं।

### डिजिटल युग में चुनावी प्रक्रियाओं का सरलीकरण

नरिवाचन आयोग साल 2026 में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव कर रहा है। मतदाताओं को अब अपनी वोटर आईडी का status check करने या नया कार्ड डाउनलोड करने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आयोग ने डिजिटल पहचान को बढ़ावा देने के साथ-साथ भौतिक दस्तावेजों के सत्यापन को भी बेहद आसान बना दिया है।

## 11 नवंबर को मतदान: वोटर आईडी कार्ड न होने पर भी कर सकेंगे वो

बिहार के बेतिया जिले सहित तय नरिवाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना सुनिश्चित हुआ है। जिला प्रशासन और नरिवाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी योग्य मतदाता वोट डालने से वंचित न रह जाए। इसी प्रतबिद्धता के कारण आयोग ने साफ किया है कि पहचान पत्र का न होना मतदान न करने का बहाना नहीं बनेगा।

यदि आपका मतदाता पहचान पत्र कहीं खो गया है या फट गया है, तो आपको पोलिंग बूथ से वापस नहीं लौटाया जाएगा। नरिवाचन अधिकारी आपके पास उपलब्ध अन्य आधिकारिक पहचान पत्रों के माध्यम से आपकी पहचान का सत्यापन करेंगे और आपको मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

## बना वोटर कार्ड के मतदान की प्रक्रिया

जब आप 11 नवंबर को अपने संबंधित पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, तो आपको वहां मौजूद मतदान कर्मियों को आयोग द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दिखाना होगा। पीठासीन अधिकारी आपके नाम का मलिन मतदाता सूची (Voter List) से करेंगे और पुष्टि होते ही आप सामान्य प्रक्रिया के तहत ईवीएम (EVM) का बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करा सकेंगे।

## जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियां पूरी, घर-घर प

बेतिया (पश्चिमी चंपारण) जिले के अंतर्गत आने वाले सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। जिला नरिवाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, नष्टिपक्ष और शांतपूरण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

इस बीच, प्रशासन ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नरिवाचन आयोग की ओर से सभी पंजीकृत मतदाताओं के घरों तक आधिकारिक मतदाता पर्ची (Voter Slip) पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस पर्ची में आपका भाग संख्या, क्रम संख्या और पोलिंग बूथ का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होता है।

## मतदाता पर्ची के साथ पहचान पत्र लाना जरूरी

याद रखें कि बीएलओ (BLO) द्वारा घर-घर पहुंचाई गई मतदाता पर्ची केवल आपकी सुवर्धिता और बूथ की जानकारी के लिए है। यह आपकी पहचान का एकमात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है। इसलिए मतदान केंद्र पर जाते समय इस पर्ची के साथ अपना कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बनिा आपको वोट देने में परेशानी हो सकती है।

## नरिवाचन आयोग की बड़ी राहत: पहचान के लिए इन 12 वैकल्पिक दस्त

यदि आपके पास नरिवाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) उपलब्ध नहीं है, तो भारत नरिवाचन आयोग ने पहचान स्थापति करने के लिए कुल 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों को मान्यता दी है। इन दस्तावेजों को दिखाकर आप पूरी तरह वैध तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

## स्वीकृत 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की पूरी सूची (List):

- >> आधार कार्ड:केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त आधार कार्ड मान्य होगा।
- >> मनरेगा जॉब कार्ड:ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी वैध जॉब कार्ड।
- >> पासबुक:बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक।
- >> श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड:योजना के तहत जारी आधिकारिक कार्ड।
- >> ड्राइवगि लाइसेंस (DL):परविहन विभाग द्वारा जारी वैध ड्राइवगि लाइसेंस।
- >> पैन कार्ड (PAN Card):आयकर विभाग द्वारा जारी परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड।
- >> स्मार्ट कार्ड:एनपीआर (NPR) के तहत आरजीआई (RGI) द्वारा जारी किए गए कार्ड।
- >> भारतीय पासपोर्ट:वदिश मंत्रालय द्वारा जारी वैध इंडियन पासपोर्ट।
- >> पेंशन दस्तावेज:फोटोयुक्त पेंशनर चयन पासबुक या आदेश प्रतति।
- >> सेवा पहचान पत्र:केंद्र राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी आईडी कार्ड।
- >> सांसदों वधायकों पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र:जनप्रतनिधियों के लिए मान्य कार्ड।
- >> यूनीक डिसिबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड:सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दवियांगजनों को जारी प्रमाण पत्र।

## वोटर लसिट में नाम होना है अनविर्य, जाने कौन-से दस्तावेज ह

मतदान करने के लिए सबसे प्राथमिक और अनविर्य शर्त यह है कि आपका नाम नरिवाचन आयोग की आधिकारिक मतदाता सूची (Voter List 2026) में दर्ज होना चाहिए। यदि आपका नाम वोटर लसिट में नहीं है, तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा दस्तावेज दिखाकर वोट नहीं डाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर अपना नाम ऑनलाइन चेक कर लें।

नागरिकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये दस्तावेज केवल आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए हैं, न कि आपकी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए। हाल ही में कानूनी गलियों में इस वषिय पर गहन चर्चा हुई है। यदि आप वसित कानूनी संदर्भ समझना चाहते हैं, तो आधार, पैन और वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं? हाईकोर्ट का बड़ा फैसलावाली रिपोर्ट देख सकते हैं।

## दस्तावेजों की कानूनी वैधता और महत्व

अक्सर लोग सोचते हैं कि पहचान पत्र होने का मतलब देश की नागरिकता की गारंटी है, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा नहीं है। इस वषिय को वसितार से जानने के लिए आप आधार-पैन-वोटर ID से नागरिकता नहीं! जाने कौन सा दस्तावेज बनाता है भारतीय? इस लेख को पढ़ सकते हैं, जो आपके ज्ञान को और बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि आप 2026 की शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हैं, तो छात्र हति में CUET 2026 सटि सलपि जारी होने की खबर भी जांच सकते हैं।

## चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए 24 घंटे एक्टिव रहेगा हे

चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, भयमुक्त और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन एवं नरिवाचन आयोग ने कड़े प्रबंध किए हैं। यदि किसी मतदाता को मतदान केंद्र पर कोई समस्या आती है, या चुनाव से संबंधित किसी गड़बड़ी की आशंका होती है, तो वे तुरंत आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

आयोग द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1950 मतदान के दौरान और उससे पहले 24 घंटे पूरी तरह सक्रिय (Active) रहेगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने पोलिंग बूथ, मतदाता सूची में नाम की स्थिति या किसी भी प्रकार की चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सकते हैं।

## कंट्रोल रूम से होगी सीधी मॉनिटरिंग

हेल्पलाइन नंबर 1950 पर आने वाली सभी कॉल्स को अटेंड करने के लिए जिला मुख्यालय में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम

स्थापित किया गया है। यहां तैनात अधिकारी प्राप्त शिकायतों का त्वरित नविवरण करेंगे ताकमितदाताओं को कसिी भी प्रकार की असुवधि का सामना न करना पड़े।

## वोटर आईडी से संबंधित समस्याओं के नविवरण के लिए जारी हुआ टोल

मतदाता पहचान पत्र में सुधार, नाम कटने, या नया कार्ड न मलने जैसी तकनीकी समस्याओं को लेकर मतदाताओं को अक्सर परेशान होना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नरिवाचन आयोग ने एक वशिष टोल फ्री नंबर की सुवधि भी उपलब्ध कराई है। इस नंबर के जरिए मतदाता घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।

यदिआप जानना चाहते हैं कनिया वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए कैसेapply onlineकरें या मतदाता सूची काPDFकैसे डाउनलोड करें, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूरी गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह से नःशुल्क है और क्षेत्रीय भाषाओं में भी सहायता प्रदान करती है।

## जागरूक मतदाता, मजबूत लोकतंत्र: जिला प्रशासन ने की बड़-चढ़कर

बेतिया के जिला प्रशासन ने जल्लि के सभी नौ वधिनसभा क्षेत्रों के नागरकों, युवाओं और वशिषकर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्य में बड़-चढ़कर हसिसा लेने की अपील की है। पहले मतदान, फरि जलपान के नारे के साथ प्रशासन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभयान चला रहा है।

एक-एक वोट से ही देश का भवष्य और नीतयिां तय होती हैं। इसलए, आगामी 11 नवंबर को अपनी सभी व्यस्तताओं को छोड़कर अपने पोलगि बूथ पर जाएं। यदिवोटर आईडी कार्ड पास में नहीं है, तो ऊपर बताए गए 12 दस्तावेजों में से कसिी भी एक को साथ ले जाएं और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनश्चिति करें।

## नषिर्षः जमिेदारी नभाएं, लोकतंत्र मजबूत बनाएं

नरिवाचन आयोग द्वारा दी गई 12 वैकल्पकि दस्तावेजों की यह छूट साबति करती है कप्रशासन हर हाल में शत-प्रतशित मतदान सुनश्चिति कराना चाहता है। वोटर आईडी का खो जाना अब वोट न देने का कोई कारण नहीं बन सकता। सजग नागरकि बनें, अपने अधिकारों को पहचानें और 11 नवंबर को होने वाले मतदान में अनविर्य रूप से भाग लें।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हां, यदि आपका नाम आधिकारिक मतदाता सूची में दर्ज है, तो आप वोटर आईडी कार्ड न होने पर भी निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 वैकल्पिक दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) में से किसी एक को दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

चुनाव से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत, समस्या या जानकारी के लिए आप निर्वाचन आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। यह नंबर 24 घंटे पूरी तरह सक्रिय रहता है।

आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Search in Electoral Roll विकल्प का उपयोग करके अपने नाम, राज्य और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

नहीं, बीएलओ द्वारा घर-घर पहुंचाई गई मतदाता पर्ची केवल आपकी सुविधा और पोलिंग बूथ की जानकारी के लिए है। मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए इसके साथ कोई एक आधिकारिक फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार, पैन, या पासपोर्ट) ले जाना अनिवार्य है।

नहीं, मतदान करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका नाम मतदाता सूची (Voter List) में होना चाहिए। यदि सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप किसी भी अन्य दस्तावेज के आधार पर वोट नहीं डाल सकते हैं।